न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 237 / 2021(2021 / 459)

1. कैलाशी पुत्री स्योजी जाति भील निवासी धोलाई (देवगांव) तहसील केकडी जिला अजमेर।

----प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-
प्रार्थी वकील :- श्री शिवप्रसाद पाराशर
पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम धोलाई(देवगांव) तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।** आराजीयात निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
15–153	785 / 20 786 / 24 787 / 520	0.46 0.54 0.38	बारानी 3 पेटा ता. बा.3
	कुल किता 3	रकबा 1.38हैक्टर	

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीया का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया को जरिये बटवारा के प्राप्त हुई है बटवारे के समय उक्त आराजीयात का बटवारा कर राजस्व रिकार्ड में बटवारा प्रस्तात तैयार कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उक्त वर्णित आराजीयात को बटवसारे के अनुसार तरमीम किया गया था। उक्त के वर्णित आराजीयात की तरमीम से प्रार्थीया सन्तुष्ट नही है अपनी आराजीयात का मोके पर नाप चोप करवाकर प्रार्थीया अपनी हिस्से में आई हुई आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीया की आराजी पूर्व मे सयुक्त खातेदारी की थी जिसका बटवारा मे हो चुका है। तथा राजस्व रिकार्ड में तरमीम भी कर दी गयी है। लेकिन बटवारे की तरमीम से प्रार्थीया सन्तुष्ट नही होने के कारण अपने सहखातेदारो से आये दिन सीमाओ को लेकर विवाद होता है इसलिए प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। यह कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी करने हेतु दिनांक 5.4.2021 को प्रतिवादी के कार्यालय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रतिवादी द्वारा ना तो वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान किया गया है और ना ही पत्थरगढी की गयी और प्रतिवादी द्वारा कहा गया की न्यायालय से आदेश होने पर ही हम पत्थरगढी करेगे इसलिए यह प्रार्थना पत्र वास्ते स्थायी पत्थरगढी किये जाने बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्णित आराजीयात की आराजीयात स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित हैं जिससे की सहखातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मोके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:46:20 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)

Scanned with CamScanner

आवश्यक है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। तथा उचित न्याय शुल्क में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम धोलाई(देवगांव) तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 15–153 के खसरा नंबर 785/20 रकबा 0.46हैक्टर, खसरा नंबर 786/24 रकबा 0.54हैक्टर, खसरा नंबर 787/520 रकबा 0.38हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बेंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
सदस्य
लोक अदालत बेंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:46:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner